

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रभारी (अतिथि गृह)

पत्रांक/लेखा/10902 -
दिनांक/27-3-2019 -

वित्त समिति की दिनांक 02.03.2019 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.03.2019 द्वारा प्रस्ताव सं० 11(ग) के सन्दर्भ में निम्न संस्तुति की गई।

प्रस्ताव 11(ग) अतिथि गृह के कक्षों के किराये सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति :- समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रभारी (अतिथि गृह) के अतिथि गृह के कक्षों के किराये सम्बन्धी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

कृपया उपरोक्त संस्तुति अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


वित्त अधिकारी

शहीद कर्नल एच० के० सहरावत अतिथि गृह चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

अतिथि गृह में कुछ अवॉटन हेतु प्रस्तावित दरें

क्र.सं०	कक्ष	विवरण	किराया (रु० में)	
1	अतिथि कक्ष (101)	माननीय कुलपति/कुलसचिव के लिये आरक्षित		
2	विश्वविद्यालय (सूट) (201, 208 एवं 301) (माननीय कुलपति की अनुमति के उपरान्त)	विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक/अधिकारी की संस्तुति पर उनके अतिथि के लिये	रु० 1000/- प्रति दिवस	
		बाह्य अतिथि/व्यक्ति के लिये	रु० 1500/- प्रति दिवस	
		विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभागों में किसी अकादमिक उद्देश्य (जैसे प्रयोगात्मक परीक्षा, वायवा, बोर्ड ऑफ स्टडीज, आर०डी०सी०, गेस्ट लेक्चर आदि) हेतु आने वाले आचार्य/अधिकारी के लिये	रु० 500/- प्रति दिवस	
3	कक्ष संख्या 102-108 202-208 302-304	वि०वि० के नियमित शिक्षक एवं नियमित कर्मचारी के उठरने के लिये	ए०सी०	गैंग ए०सी०
			रु० 100/- प्रति दिवस	रु० 50/- प्रति दिवस
		विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभागों में किसी अकादमिक उद्देश्य हेतु आने वाले अधिकारी/आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य के लिये	रु० 150/- प्रति दिवस	रु० 100/- प्रति दिवस
		विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक, अधिकारी/कर्मचारी की संस्तुति पर उनके अतिथियों के लिये	रु० 400/- प्रति दिवस	रु० 350/- प्रति दिवस
		विश्वविद्यालय परिसर में एकादमिक / प्रशासनिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने हेतु आने वाले बाह्य अतिथियों के लिये	रु० 400/- प्रति दिवस	रु० 350/- प्रति दिवस
		विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों से सम्बन्धित अकादमिक गतिविधि जैसे मौखिक परीक्षा/ के लिये आने वाले परीक्षक/विषय विशेषज्ञ के लिये। (विश्वविद्यालय से निर्गत पत्र की प्रति जमा करने पर)	रु० 500/- प्रति दिवस	रु० 450/- प्रति दिवस
		बाह्य अतिथियों के लिये	रु० 1200/- प्रति दिवस	रु० 1000/- प्रति दिवस
		विश्वविद्यालय परिसर के नियमित छात्र/छात्राओं के अतिथियों के लिये (विभागाध्यक्ष/नियमित अध्यापक/अधिकारी द्वारा आवेदन अप्रसारित कराने पर)	रु० 400/- प्रति दिवस	रु० 350/- प्रति दिवस
विशिष्ट व्यक्ति (सासद, विधायक/न्यायधीश/जिला पुलिस/प्रशासनिक अधिकारी)	रु० 400/- प्रति दिवस	रु० 350/- प्रति दिवस		
4	मीटिंग / डाईनिंग हाल	माननीय कुलपति/कुलसचिव की अनुमति से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षक/प्राचार्य के घयन/प्रोन्नति हेतु घयन प्रोन्नति	रु० 500/- (01 घण्टे से ज्यादा के लिये)	

V. Malu
प्रभारी-अतिथिगृह

शहीद कर्नल एच० के० सहरावत अतिथि गृह
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

अतिथि गृह में कक्ष आवंटन के लिये आवश्यक निर्देश एवं शर्तें

1. अतिथि गृह में विशिष्ट कक्ष (सूट) का आवंटन माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार ही होगा।
2. अतिथि गृह में केवल परिसर के छात्र/छात्राओं के अतिथि के लिये कक्ष आवंटित होगा। विश्वविद्यालय परिसर के किसी छात्र/छात्रा को कक्ष का आवंटन नहीं होगा। इमरजेंसी/विशेष परिस्थिति में माननीय कुलपति जी के आदेश पर परिसर के छात्र/छात्राओं को कक्ष आवंटित किया जा सकता है।
3. परिसर के छात्र/छात्रा को अपने अतिथि के लिये कक्ष आवंटन से पहले आवेदन पत्र अपने विभागाध्यक्ष/रिसर्च सुपरवाइजर/समन्वयक से अग्रसारित कराना अनिवार्य होगा। विभागाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय परिसर के किसी भी नियमित शिक्षक/अधिकारी से अग्रसारित कराया जा सकता है। छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित न कराने कि स्थिति में उनके अतिथि को बाह्य व्यक्ति मानते हुए पूरा शुल्क देय होगा।
4. अतिथि गृह में आने वाले सभी अतिथियों को आवेदन पत्र के साथ अपनी व्यक्तिगत आई०डी० (परिचय पत्र) की प्रतिलिपि जमा कराना अनिवार्य है।
5. बाह्य अतिथि/व्यक्ति को विवाह आदि के लिये एक बार में/एक समय पर अधिकतम छः कक्षों का आवंटन किया जा सकता है। छः से अधिक कक्षों के आवंटन हेतु माननीय कुलपति जी से अनुमति अनिवार्य है।
6. बाह्य व्यक्ति द्वारा विवाह आदि के लिये अग्रिम बुकिंग को विश्वविद्यालय कार्य हेतु आवश्यकता पडने पर कभी भी निरस्त किया जा सकता है।
7. मार्च(नवम्बर, दिसंबर, जनवरी, एवं फरवरी) में सभी कक्षों का नॉन ए०सी० किराया देय होगा।

V. Malu
प्रभासे-अतिथिगृह 21-03-19